बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (गोपालगंज) 02–97/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–696/स्था0, दिनांक–06.08.2025 द्वारा प्राप्त आरोप के आधार पर **श्री वेद प्रकाश नारायण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, विजयीपुर, गोपालगंज** के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों को अपमानपजनक शब्दों से संबोधित करने, सरकारी कार्यों तथा अतिक्रमण वादों का ससमय, विधि पूर्वक एवं सम्यक् तरीके से निष्पादन नहीं करने, न्यायालय के आदेश की अवमानना एवं पदानुक्रम के साथ खिलवाड़ किये जाने, अवैध सहयोगियों द्वारा ग्रामीण जनता से वसूली कराने जाने एवं विरोध करने पर प्राथमिकी दर्ज करवाने, दाखिल खारिज वादों में न्यायसंगत आदेश पारित नहीं करने तथा कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता बरते जाने जैसे गंभीर आरोपों के लिए विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया है।

2. आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–1752(15), दिनांक–19.09.2025 द्वारा श्री नारायण से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री नारायण द्वारा दिनांक–10.08.2026 से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी का बचाव का लिखित अभिकथन (स्पष्टीकरण) के परिशीलन/समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री वेद प्रकाश नारायण के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हथुआ** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री नारायण से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, गोपालगंज/अपर समाहर्त्ता गोपालगंज/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हथुआ/श्री वेद प्रकाश नारायण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, विजयीपुर, गोपालगंज सम्प्रति अंचल अधिकारी, दरौंदा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (गोपालगंज) 02–97/2025–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, गोपालगंज एवं सिवान/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हथुआ/ श्री वेद प्रकाश नारायण, अंचल अधिकारी, दरौदा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (गोपालगंज) 02–97/2025–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (गोपालगंज) 02–97/2025–1976 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–16/10/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/10/26

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।